can never be sedition..."

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

मुख्यालय

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून web : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक – यू0के0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / एन0ओ0सी0–7229 / 2020 दिनांक: 29.10.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न प्रस्तावकों के द्वारा लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरुप निम्नवत् है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। पूर्व में निम्न परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया था।

वर्तमान में निम्न उल्लेखित परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय व स्थान निम्नानुसार की गयी है:–

इकाई का नाम	वर्तमान में लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	समय
मै0 रमेश सिंह माजिला, नियर ओल्ड टेलिफोन एक्सचेंज, जिला–बागेश्वर। सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम–क्वेरली, तहसील व जिला–बागेश्वर। (क्षेत्रफल–9.810 है0 में 19,172 टन प्रतिवर्ष)	09.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वान्ह 11:00 बजे
श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम–सिमखेत, तहसील एवं जिला–बागेश्वर। सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, तहसील एवं जिला–बागेश्वर। (क्षेत्रफल–4.486 है0 में 16,183 टन प्रतिवर्ष)	03.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वान्ह 11:00 बजे
मै0 बालाजी मिनरल्स, बजरंग आयल, बैजनाथ, जिला–बागेश्वर। सोप स्टोन माईनिंग, ग्राम–चकपहरुड़ा, तहसील–दुगनाकुरी, जिला–बागेश्वर। (क्षेत्रफल–4.168 है0 में 11967 टन प्रतिवर्ष)	01.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वान्ह 11:00 बजे
श्री कान्ती लाल साह, पिण्डारी रोड, बागेश्वर, जिला–बागेश्वर। मै0 नयाल सोप स्टोन माईन, ग्राम–नयाल, तहसील व जिला–बागेश्वर। (क्षेत्रफल–8.490 है0 में 21,661 टन प्रतिवर्ष)	07.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वान्ह 11:00 बजे

उक्त लोक सुनवाई को कोविड–19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेसिंग, आवश्यक रुप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल) में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Hindustan Times 30/10/2020

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

OFFICE OF THE MISSION DIRECTOR
NATIONAL HEALTH MISSION, UTTARAKHAND
(Uttarakhand Health & Family Welfare Society, Dept. of MH&FW, Govt. of Uttarakhand)
Danda Lakhond, Sahastradhara Road, Dehradun- 248001